



प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
PRADHANMANTRI VAYA VANDANA YOJANA
UIN: 512G311V02

(भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त पेंशन योजना)
(Pension Scheme subsidized by the Government of India)
(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

पंजीकरण संख्या.: 512
Registration No.: 512



संदर्भ: नव व्यवसाय

SUBRAT KUMAR DAS
1485,PRAKRUTI NIVAS
NEAR VETENARY HOSPITAL,SRIRAM NAGAR
LINGARAJ,BHUBANESWAR,KHORDHA
751002

LIC OF INDIA,BHUBANESWAR BR I
OPP RAJ BHAWAN NEW CAPITAL
LIC BUILDING UNIT-7.
BHUBANESWAR- 751001,Email:
bo_583@licindia.com

दिनांक 27-11-2019

प्रिय पेंशनर,

विषय: आपकी पॉलिसी संख्या 849236195

उपरोक्त पालिसी दस्तावेज आपको अग्रेषित करते हुए हमें खुशी हो रही है जिसे कृपया व्यवस्थित रूप से प्राप्त करें।

हम पालिसी की अनुसूची में वर्णीत जानकारी और पालिसी के तहत उपलब्ध फायदों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

फ्री लुक अवधि -

हम आपसे पालिसी के नियमों और शर्तों को पूरी तरह पढ़ने के लिए निवेदन करते हैं और यदि आप किसी भी नियम और शर्तों से असहमत हों तो आप पालिसी को अपनी आपत्तियों और असहमति के कारणों को बताते हुए पालिसी दस्तावेज की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन की अवधि (30 दिनों, यदि पालिसी आनलाईन क्रय की गई हो तो) के अंदर लौटा सकते हैं। आपसे पालिसी दस्तावेज मिलने पर हम उसे रद्द कर देंगे और आप द्वारा जमा की खरीद मूल्य की राशि से स्टैम्प ड्यूटी और भुगतान की गई पेंशन की राशि (यदि कोई हो) की कटौति करके शेष राशि आपको लौटा देंगे।

हम निम्नलिखित पहलुओं की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:

- 1] पते में परिवर्तन :- यदि आप अपना निवास बदलते हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप सर्विसिंग शाखा को अपने पते में बदलाव की सूचना दें।
- 2] असाइनमेंट:- असाइनमेंट समय-समय पर यथा संशोधित बीमा कानून 1938 की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। धारा 38 के वर्तमान प्रावधानों को संदर्भ के लिए परिशिष्ट I के रूप में संलग्न किया गया है।
- 3] नामांकन :- नामांकन समय-समय पर यथा संशोधित बीमा कानून 1938 की धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। धारा 39 के वर्तमान प्रावधानों को संदर्भ के लिए परिशिष्ट II में संलग्न किया गया है।
- 4] बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 :- उसके वर्तमान प्रावधान परिशिष्ट III में संलग्न है।
- 5] कृपया एल.आई.सी.की ई-सेवाएं हासिल कीजिए। हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर विजिट कीजिए ताकि हम आपकी बेहतर सेवा कर सकें।

यदि आपको इस दस्तावेज में कोई गलती मिलती है तो आप सुधारों के लिए इस पॉलिसी को लौटा सकते हैं।

सधन्यवाद आपका।

भवदीय,

कृते मुख्य /वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)
Registration Number: 512

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
(UIN: 512G311V02)
(Pension Scheme subsidized by the Government of India)

PART – A

Ref : NB

Branch Office

SUBRAT KUMAR DAS
1485,PRAKRUTI NIVAS
NEAR VETENARY HOSPITAL,SRIRAM NAGAR
LINGARAJ,BHUBANESWAR,KHORDHA
751002

LIC OF INDIA,BHUBANESWAR BR I
OPP RAJ BHAWAN NEW CAPITAL
LIC BUILDING UNIT-7.
BHUBANESWAR- 751001,Email:
bo_583@licindia.com

Date : 27-11-2019

Dear Pensioner,

Re: Your Policy No. **849236195**

We have pleasure to forward herewith the above policy document which please find in order.

We would also like to draw your kind attention to the information mentioned in the Schedule of the Policy and the benefits available under the Policy.

Free Look Period

We would request you to go through the terms and conditions of the Policy and in case you disagree to any of the terms and conditions, you may return the Policy within a period of 15 days (30 days if this policy is purchased online) from the date of receipt of policy document stating the reasons of your objections and disagreement. On receipt of the policy we shall cancel the same and the amount of Purchase Price deposited by you shall be refunded to you after deducting the charges for **stamp duty and Pension paid (if any)**.

We would also like to draw your attention to the following aspects:

- 1) Change of Address: In case you change your residence, kindly ensure that you inform the change in address to the servicing branch
- 2) Assignment: Assignment should be in accordance with the provisions of Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 38 are enclosed as Annexure-1 for reference.
- 3) Nomination: Nomination should be in accordance with provision of Section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are enclosed in Annexure –II for reference.
- 4) Section 45 of Insurance Act, 1938: The current provisions of the same are enclosed in Annexure –III.
- 5) Please avail LIC's e-services. Visit our website: www.licindia.in to enable us to serve you better.

If you find any errors in this document, you may return this Policy for corrections.

Thanking you.

Yours faithfully,

p. Chief/Sr. Branch Manager

भाग - अ (जारी) / PART - A (Contd.)

भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे 'निगम' संबोधित किया गया है) को "प्रधानमंत्री वय वंदना योजना" के अंतर्गत पेंशन क्रय करने हेतु एक प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र क्रय मूल्य के साथ प्राप्त हुआ है और यह प्रस्ताव तथा उसमें समाहित एवं संदर्भित प्रकथनों जिसके लिए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित पेंशन प्राप्तकर्ता ने सहमति दी है इस अनुबंध के आधार होंगे और एतद्वारा यह घोषित किया जाता है की इस पॉलिसी में उल्लिखित शर्तें इस अनुबंध का आधार होगी।

अब यह पॉलिसी इस बात की साक्षी है की भुगतान की गई क्रय मूल्य की राशि के प्रतिफल में, उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों को जिन्हें कथित तालिका में लिखें अनुसार हितलाभ देय होना व्यक्त किया गया है, हितलाभ के संबंध में निगम के सक्षम संतोषजनक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर हितलाभ के अधिकारी का दावा प्राप्त होने पर, निगम इस पॉलिसी को बीमा सेवा प्रदान करने वाले अपने कार्यालय या किसी अन्य कार्यालय में तालिका में अंकित हितलाभ का भुगतान करेगा परंतु बिना ब्याज के।

और एतद्वारा यह भी घोषित किया जाता है की यह पॉलिसी इसके पीछे की तरह छपी परिभाषाओं, हितलाभों, सेवा प्रदान करने से संबंधित शर्तों, अन्य नियमों और शर्तों तथा वैधानिक प्रावधानों और निम्नलिखित अनुसूची तथा निगम द्वारा लगाए गए प्रत्येक पृष्ठकन जिसे पॉलिसी का अंग माना जाएगा, के विषयाधीन होगी।

The LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and Purchase price for the purchase of a pension amount under the "Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana" and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein, which the Pensioner named in the Schedule referred to herein below has agreed shall be and are hereby declared to be the basis of this Contract on the terms stated in this policy.

Now this Policy witnesseth that in consideration of the Purchase Price paid, the Corporation will pay either at its office where this policy is serviced or at some of its other office the benefits as specified in the said Schedule, but without interest, to the person/persons to whom the same is payable in terms of the said schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of benefits having become payable in terms of this policy document, and of the title of the person/persons claiming payments.

And it is hereby declared that this Policy shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

तालिका / SCHEDULE

मंडल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE: D501

शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE: 583

<p>पॉलिसी सं. Policy No.: 849236195 पॉलिसी के आरंभ की तिथि Date of Commencement of Policy: 22-11-2019 योजना सं. Plan No.: 842 पॉलिसी की अवधि: 10 वर्ष Policy Term: 10 years परिपक्वता तिथि Date of Maturity: 22-11-2029</p>	<p>क्रय मूल्य (₹) Purchase Price (Rs.): 1500000 पेंशन किस्त की राशि (₹) Amount of Pension Instalment (Rs.): 10000</p>	<p>पहली पेंशन भुगतान की तिथि: Date of 1st pension payment: 22-12-2019 देय तिथि Due date: 22 पॉलिसी के जारी होने की तिथि Date of issuance of policy: 22-11-2019 पेंशन के भुगतान का माध्यम Mode of payment of pension: Mly पेंशन प्राप्तकर्ता की जन्म तिथि Date of birth of the Pensioner: 17-03-1952 पेंशन प्राप्तकर्ता की उम्र Age of the Pensioner: 67 क्या उम्र स्वीकृत है या नहीं? Whether age Admitted? Yes</p>
---	--	--

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित व्यक्ति का नाम, और उनका प्रतिशत शेयर /
Name of Nominee (s) under Section 39 of the Insurance Act, 1938 and their percentage of share:
JASASWINI DAS Rel: Wife
नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की आयु तथा उनका रिश्ता
Age of Nominee(s) and their relationship: **62 Yrs. Wife**

प्रस्ताव सं.
Proposal No.: **20708**
प्रस्ताव की तिथि
Date of Proposal : **22-11-2019**

यदि नामित अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम
If nominee is a minor, name of the Appointee:

पेंशन प्राप्तकर्ता का नाम और पता Name and address of Pensioner:
SUBRAT KUMAR DAS
1485,PRAKRUTI NIVAS
NEAR VETENARY HOSPITAL,SRIRAM NAGAR
LINGARAJ,BHUBANESWAR,KHORDHA
751002

लाभार्थी, जिसे हितलाभ देय है / **Beneficiary to whom Benefits payable.**

१.पेंशन/परिपक्वता हितलाभ / Pension / Maturity Benefit: पेंशन प्राप्तकर्ता को / To the Pensioner
२.मृत्यु पर देय राशि : बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत पेंशन प्राप्तकर्ता के नामितों को या बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अंतर्गत उसके अभ्यर्पितों को या प्रमाणित निष्पादकों या प्रशासकों या पेंशनप्राप्तकर्ता के अन्य वैधानिक प्रतिनिधियों को जिन्होंने उसकी सम्पदा या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि के लिए भारत संघ के किसी राज्य या संघशासित प्रदेश के किसी न्यायालय, जो भी लागू हो, से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया होगा।
Death Benefit: To the Pensioner's nominees under Section 39 of the Insurance Act, 1938 or his Assignee under Section 38 of Insurance Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives of the Pensioner who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable.

निगम के लिए उक्त उल्लिखित शाखा कार्यालय पर हस्ताक्षरित, जिसका पता और ई-मेल आयडी अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर पॉलिसी से संबंधित सभी पत्राचार भेजे जाने चाहिए।

Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address and e-mail are given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनांक / Date: **27-11-2019**

Digitally Signed by : on behalf of LIC of India
Date: 2019.12.07 12:37:38 IST
Reason: Policy Document

जांचकर्ता / Examined by: **331660**

कृते मुख्य/वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक p. Chief/ Sr. Branch Manager

<p>एजेन्सी कोड Agency Code 03279583</p>	<p>एजेन्सी का नाम Agency Name NIL KAMAL MOHANTY</p>	<p>एजेन्ट का मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबर Agent's Mobile Number / Landline Number 9437010035 / 410035</p>
---	---	--

भाग-ब परिभाषाएं

पॉलिसी दस्तावेज़ में प्रयुक्त शब्दों/शब्दावली की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:

1. **उम्र** का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होते समय पेंशन प्राप्तकर्ता की पूर्ण वर्षों में उम्र है।
2. **नियुक्त-व्यक्ति (एपॉइन्टी)** वह व्यक्ति है जिसे पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित दावे के भुगतान की तिथि को, नामित के नाबालिग होने तथा उसे दावे की राशि देय होने पर वह राशि / हितलाभ देय होती है।
3. **समनुदेशिती** वह व्यक्ति है जिसे समनुदेशन के फलस्वरूप पॉलिसी के अधिकार तथा हितलाभ हस्तांतरित किए जाते हैं।
4. **समनुदेशन** समनुदेशिती के पक्ष में पॉलिसी के अधिकारों तथा हितलाभों के हस्तांतरित किये जाने की प्रक्रिया है। समनुदेशन समय-समय पर तथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।
5. **लाभार्थी** का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो इस पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को प्राप्त करनी का पात्र है। लाभार्थी पेंशन प्राप्तकर्ता या उसका समनुदेशिती या नामित व्यक्ति या प्रमाणित निष्पादक या प्रशासक या कोई अन्य वैधानिक प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, हो सकता है।
6. **निगम** का अर्थ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम से है।
7. **पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि** का अर्थ इस पॉलिसी के शुरू होने की तिथि है।
8. **पॉलिसी के जारी होने की तिथि** वह तिथि है जब बीमालेखन के बाद प्रस्ताव को पॉलिसी के रूप में स्वीकार किया जाता है और यह संविदा प्रभावी हो जाती है।
9. **परिपक्वता की तिथि** से तात्पर्य अनुसूची में विनिर्धारित वह तिथि है, जब परिपक्वता हितलाभ पेंशनधारक को देय हो जाते हैं।
10. **मृत्यु हितलाभ** का अर्थ संविदा के आरंभ के समय सहमत हितलाभ से है, जो की पेंशनधारक की मृत्यु की दशा में देय है।
11. **डिस्चार्ज फॉर्म** पेंशन प्राप्तकर्ता/लाभार्थी द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण करने/मृत्यु पर प्राप्त होने वाले हितलाभ का दावा करने के लिए भरा जाने वाला फॉर्म है।
12. **देय तिथि** का अर्थ वह निर्धारित तिथि है जब पेंशन प्राप्तकर्ता को पेंशन देय तथा भुगतान योग्य हो।
13. **पृष्ठांकन** से अर्थ निगम द्वारा किन्हीं सहमत या जारी संशोधनों व आशाधनों को इस पॉलिसी में शामिल करने के लिए संलग्न/जोड़ी गई शर्तों से है।
14. **मुफ्त लुक अवधि** पॉलिसी दस्तावेज़ की प्राप्ति से 15 दिनों की अवधि (30 दिन अगर इस पॉलिसी को ऑनलाइन खरीदा जाता है), इस पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों की समीक्षा करने के लिए है, और अगर पेंशनधारक उन नियमों तथा शर्तों में से किसी से असहमत हो, तो उसके पास इस पॉलिसी को लौटाने का विकल्प है जैसा की भाग द की शर्त 5 में वर्णित है।
15. **आईआरडीएआई** का अर्थ है इश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेण्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पहले इसे इश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेण्ट अथॉरिटी (आईआरडीए) के नाम से जाना जाता था।
16. **ऋण** निगम द्वारा क्रय कीमत के प्रतिशत के रूप में व्याज सहित मंजूर की गई राशि है।
17. **महत्वपूर्ण तथ्य** वीएच जानकारी है जो की पॉलिसी प्राप्त कराते समय पेंशनकर्ता को पहले से ज्ञात थी, जिसका प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बीमालेखन पर प्रभाव होता है।
18. **अवयस्क** या नाबालिग वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी न की हो।
19. **परिपक्वता हितलाभ** का अर्थ व हितलाभ है जो की परिपक्वता यानी पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर देय है, जैसा की इस पॉलिसी दस्तावेज़ के भाग स में विनिर्धारित है, अगर पेंशनधारक पॉलिसी की परिपक्वता की विनिर्धारित तिथि तक जीवित रहता है।
20. **नामांकन** किसी व्यक्ति को प्रस्ताव प्रपत्र में या बाद में पृष्ठांकन द्वारा शामिल करने/बदलने की प्रक्रिया है। नामांकन समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए।
21. **नामित** इस पॉलिसी के अंतर्गत पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा नामांकित वह व्यक्ति होता है, जो इस पॉलिसी के अंतर्गत देय दावा लाभ प्राप्त करने हेतु अधिकृत होता/होती है और दावे के निपटान पर निगम को मान्य उन्मोचन प्रदान करता/करती है।
22. **पॉलिसी/पॉलिसी दस्तावेज़** का अर्थ पृष्ठांकनों, अगर कोई हों, सहित निगम द्वारा जारी वह दस्तावेज़ है जो की पेंशन प्राप्तकर्ता तथा निगम के बीच एक वैधानिक अनुबंध होता है।
23. **पेंशन प्राप्तकर्ता** वह व्यक्ति है जो की इस पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित अवधि पर पेंशन प्राप्त करता है।
24. **पॉलिसी अवधि** वर्षों के रूप में, अनुसूची में वर्णित अनुसार वह अवधि है जो अनुसूची में निर्दिष्ट पॉलिसी की प्रारंभ अवधि से शुरू होती है।
25. **क्रय कीमत** पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को सुनिश्चित करने के लिए आरंभ में पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा अदा की गई कीमत है।
26. **अनुसूची** आपके पॉलिसी दस्तावेज़ का एक अंग है जिसमें आपकी पॉलिसी का विवरण मौजूद है।
27. **वरिष्ठ नागरिक** 60 वर्ष (पूर्ण) और उससे अधिक उम्र का व्यक्ति होता है।
28. **अभ्यर्पण** का अर्थ पूरी पॉलिसी को वापस लेना/समाप्त करना है जैसा की इस पॉलिसी दस्तावेज़ के भाग द के शर्त 4 में उल्लेख किया गया है।
29. **अभ्यर्पण मूल्य** का अर्थ, वह राशि है, अगर कोई हो, जो की इस पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों के अनुसार उसे अभ्यर्पण करने की स्थिति में देय होती है।
30. **UIN** का अर्थ इस प्लान को आईआरडीएआई द्वारा आबंटित यूनीक आइडेन्टीफिकेशन नंबर है।

PART – B: DEFINITIONS

The definitions of terms/words used in the policy documents are as under:

1. **Age** is the age of the Pensioner at the time of the commencement of the policy in completed years.
2. **Appointee** is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
3. **Assignee** is the person to whom the rights and benefits are transferred by virtue of an Assignment.
4. **Assignment** is the process of transferring the rights and benefits to an "Assignee". Assignment should be in accordance with the provisions of Section 38 of Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
5. **Beneficiary** means the person who is entitled to receive benefits under this Policy. The Beneficiary may be Pensioner or his Assignee or Nominees or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives as the case may be.
6. **Corporation** means the Life Insurance Corporation of India established under Section 3 of the LIC Act, 1956.
7. **Date of commencement of policy** is the start date of this Policy.
8. **Date of issuance of policy** is a date when a proposal after underwriting in accepted as a policy and this contract gets effected.
9. **Date of Maturity** means the date specified in the schedule on which the Maturity Benefit shall become payable to the pensioner.
10. **Death Benefit** means the benefit, agreed at the inception of the contract, which is payable on death of Pensioner.
11. **Discharge form** is the form to be filled by Pensioner/ beneficiary to claim the maturity/surrender/death benefit under the policy.
12. **Due Date** means a fixed date on which the pension is due and payable to the Pensioner.
13. **Endorsement** means conditions attached/ affixed to this Policy incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the Corporation.
14. **Free Look Period** is the period of 15 days (30 days if this policy is purchased online) from the date of receipt of the policy document to review the terms and conditions of this policy and where the Pensioner disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy as detailed in condition 5 of Para D.
15. **IRDAI** means Insurance Regulatory and Development Authority of India earlier called as Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).
16. **Loan** is the interest bearing repayable amount granted by the Corporation as a percentage of the Purchase Price.
17. **Material information** is the information already known to the Pensioner at the time of obtaining a policy which has a bearing on underwriting of the proposal submitted.
18. **Minor** is a person who has not completed 18 years of age.
19. **Maturity Benefit** means the benefit, which is payable on maturity i.e. at the end of the policy term as specified in Part C of this Policy Document, on Pensioner surviving the stipulated date of Maturity.
20. **Nomination** is the process of nominating a person who is named as "Nominee" in the proposal form or subsequently included/ changed by an endorsement. Nomination should be in accordance with provision of Section 39 of the insurance act, 1938 as amended from time to time.
21. **Nominee** is the person nominated by the Pensioner under this policy and who is authorized to receive the claim benefit payable under this policy and give a valid discharge to the Corporation on settlement of the claim.
22. **Policy/ Policy Document** means this document along with endorsements, if any, issued by the Corporation which is a legal contract between the Pensioner and the

Corporation.

23. **Pensioner** is an individual who receives pension at fixed interval of time under this policy.
24. **Policy term** is the period, in years, as mentioned in the schedule, commencing from the Date of commencement of policy specified in the schedule.
25. **Purchase Price** is the amount paid by the Pensioner at inception to secure the benefits under the policy.
26. **Schedule** is the part of policy document that gives the details of your policy.
27. **Senior Citizen is a person aged 60 years (completed) and above.**
28. **Surrender** means complete withdrawal / termination of the entire policy as mentioned in Condition 4 of Part D of this policy document.
29. **Surrender Value** means an amount, if any, that becomes payable in case of surrender in accordance with the terms and condition of this policy.
30. **UIN** means the Unique Identification Number allotted to this plan by the IRDAI.

भाग-स: हितलाभ

इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ उपलब्ध हैं:

1. **पेंशन हितलाभ:** पेंशन हितलाभ पॉलिसी की अवधि के दौरान पेंशन प्राप्तकर्ता के जीवित रहने पर, पेंशन की किस्त, अनुसूची में उल्लेख किए गए अनुसार बकाया राशि में देय होगी (चुने गए माध्यम के अनुसार प्रत्येक अवधि की समाप्ति पर)। यह हितलाभ पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगा।
एक वरिष्ठ नागरिक के लिए इस प्लान के तहत जारी की गई सभी पॉलिसियों के पेंशन की कुल राशि या खरीद मूल्य, जिसमें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यूआईएन 512G311V01 के तहत ली गई पॉलिसिया शामिल हैं, क्रमशः ₹ 120000/- प्रति वर्ष या ₹ 15 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. **मृत्यु हितलाभ:** पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर लाभार्थी को क्रय कीमत लौटा दी जाएगी।
3. **परिपक्वता हितलाभ:** परिपक्वता की विनिर्धारित तिथि तक पेंशन प्राप्तकर्ता के जीवित रहने पर, क्रम कीमत को पेंशन की अंतिम किस्त के साथ पेंशन प्राप्तकर्ता को लौटा दिया जाएगा।

PART – C: BENEFITS

The following benefits are payable under this policy:

1. **Pension Benefit:** On survival of the pensioner during the policy term, Amount of Pension Instalment as mentioned in the Schedule shall be payable in arrears (at the end of each period as per the mode chosen). This benefit shall cease on death of the Pensioner.

Total amount of pension or purchase price under all the policies under this plan, including policies taken under Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana with UIN: 512G311V01, allowed to a senior citizen shall not exceed Rs. 1,20,000/- per annum or Rs. 15 lakhs respectively.
2. **Death Benefit:** On death of the Pensioner during the policy term, the Purchase Price shall be refunded to the beneficiary.
3. **Maturity Benefit:** On Pensioner surviving to the stipulated Date of Maturity, the Purchase Price along with the final pension installment shall be refunded to the pensioner.

भाग-द: सेवा प्रदान करने के पहलू से संबंधित शर्तें

1. उम्र का प्रमाण: प्रस्ताव प्रपत्र में पेंशन प्राप्तकर्ता की घोषित उम्र के आधार पर पॉलिसी जारी की गई है।
लेकिन अगर प्रवेश के समय पेंशन प्राप्तकर्ता की सही उम्र उसे यहां कथित अनुसूची में विनिर्धारित बीमा का श्रेणी या शर्तों के अंतर्गत बीमा हेतु अयोग्य बनाती है तो पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा तथा इस निरस्तीकरण की तिथि को देय अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा।
2. विशेष परिस्थितियों में जव्ती: यदि इसमें उल्लिखित या पृष्ठांकित किसी भी शर्त का उल्लंघन होगा या इस के बाद यह पाया जाएगा की इस में उल्लिखित प्रस्ताव और घोषणाओं में कोई असत्य या गलत बयान सम्मिलित है या उसमें संदर्भित प्रकथनों संलग्न कागजातों को सही और साफ ढंग से नहीं बताया गया है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए गए हैं तो ऐसी प्रत्येक परिस्थितियों में समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधानों पॉलिसी अवैध मनी जाएगी और इससे संबंधित समस्त हितलाभ के दावे तुरन्त समाप्त हो जाएंगे।
3. पॉलिसी ऋण: पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से तीन पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद ही पॉलिसी ऋण उपलब्ध होगा। पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध ऋण की अधिकतम राशि क्रय कीमत का 75% होगी, जो की संतोषजनक टाइटल प्रस्तुत करने तथा निम्नलिखित नियमों या शर्तों का पालन करने के साथ-साथ निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकने वाली अन्य नियमों व शर्तों के अधीन होगी।
 - (i) ऋण तथा उस पर ब्याज के चुकाए जाने तक पॉलिसी का पूर्णतः निगम को समनुदेशन किया जाएगा तथा वह जमानत के रूप में निगम के पास रहेगी।
 - (ii) पॉलिसी के अंतर्गत पेंशन के भुगतान की बारंबारता के अनुसार ऋण पर ब्याज अर्जित होगा तथा उसे ऋण दिए जाने के समय निगम द्वारा निर्धारित दर से पेंशन की किस्त से वसूल किया जाएगा। ऋण पर ब्याज की पहली वसूली, ऋण दिए जाने की बाद पेंशन की अगली किस्त के देय होने पर की जाएगी।
 - (iii) अगर पॉलिसी को अभ्यर्पण किया जाता है या मृत्यु या परिपक्वता के कारण पेंशन पर दावा उत्पन्न होता है, तो निगम पॉलिसी की राशि में ऋण की राशि या उसके किसी बकाया ब्याज सहित काटने के लिए अधिकृत होगा।
 - (iv) 30 अप्रैल 2018 तक मंजूर किए गए लोन के लिए लागू ब्याज दर 10% प्र.व. है, जो लोन की संपूर्ण अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक रूप से देय है।
4. अभ्यर्पण : असाधारण परिस्थितियों में, जैसे की, पेंशन प्राप्तकर्ता को अपनी अथवा अपने जीवनसाथी की किसी गंभीर/लाइलाज बीमारी के उपचार के लिए धन की आवश्यकता हो तो, परिपक्वता पूर्व एग्जिट संभव है। ऐसी स्थिति में देय अभ्यर्पण मूल्य, क्रय कीमत का 98% होगा।
5. मुफ्त लुक अवधि: मुफ्त लुक अवधि के दौरान, अगर पेंशन प्राप्तकर्ता पॉलिसी के नियम तथा शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी आपत्तियों के कारण का उल्लेख करते हुए पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंदर (30 दिन, अगर पॉलिसी को ऑनलाइन खरीदा गया हो) उसे लौटा सकता है। इसके प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी को रद्द कर देगा तथा स्टैम्प ड्यूटी हेतु शुल्क और भुगतान किए गए पेंशन, अगर कोई हो, काटकर, जमा किए गए क्रय मूल्य को लौटा देगा।

PART – D: CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS

1. **Proof of Age:** Policy is issued based on the age of the Pensioner as declared in the proposal form.
Provided further that if the Pensioner's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, then the policy will be cancelled and the surrender value will be paid as on the date of such cancellation.
2. **Forfeiture in Certain Events:** In case any condition herein contained or endorsed hereon be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue of this policy shall be subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time.
3. **Policy Loan:** Policy loan shall be available only after the completion of three policy years from date of commencement of the policy. The maximum amount of loan available under the policy shall be 75% of Purchase Price, subject to the production of satisfactory title and following terms and conditions and on such further terms and conditions as the Corporation may fix from time to time:
 - (i) The Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation as security for the repayment of loan and of the interest thereon;
 - (ii) Interest on the loan shall accrue as per the frequency of payment of pension under the policy and shall be recovered from the pension instalment at the rate which shall be specified by the Corporation when the loan is made. The first recovery of the loan interest shall be made from the next pension instalment falling due after the loan is made;
 - (iii) In case the policy is surrendered or on policy becoming a claim by death or on maturity, the Corporation shall become entitled to deduct the amount of the loan

or any portion thereof which is outstanding, together with any outstanding interest, from the policy moneys.

(iv) For the loan sanctioned till 30th April, 2018, the applicable interest rate is 10% p.a. payable half-yearly for the entire term of the loan.

- Surrender:** The scheme allows premature exit under exceptional circumstances like the Pensioner requiring money for the treatment of any critical/terminal illness of self or spouse. The Surrender Value payable in such cases shall be 98% of Purchase Price.
- Free-Look period:** During the Free Look period of 15 days (30 days if this policy is purchased online) from the date of receipt of the Policy Document by the Pensioner, if the Pensioner is not satisfied with the Terms and Conditions of the policy, he/she may return the policy to the Corporation stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the Policy and return the Purchase Price paid after deducting the charges for stamp duty and pension paid, if any.

भाग यः लागू नहीं // PART E ; Not Applicable.

भाग-रः अन्य नियम व शर्तें

1. समनुदेशन तथा नामांकन: समनुदेशन समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार होंगे। जब भी पेंशनधारक पॉलिसी लोन का विकल्प चुनता है तब भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में शर्त 3 (i) के अनुसार समनुदेशन होगा, जिसका उल्लेख भाग द में ऊपर किया गया है। धारा 38 के मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज़ के परिशिष्ट-I में दिए गए हैं। समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार नामांकन किया जाना अपेक्षित है। धारा 39 के मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज़ परिशिष्ट-II में दिए गए हैं। नामांकन या नामांकन में परिवर्तन की सूचना पॉलिसी को सेवा प्रदान करने वाले, निगम के कार्यालय को पंजीकरण हेतु दी जानी चाहिए। नामांकन का पंजीकरण कराते समय निगम उसकी वैधता या कानूनी प्रभाव के बारे में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है या अपनी कोई राय नहीं देता है।

2. वैधानिक परिवर्तन: इस पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ तथा नियम तथा शर्तें संबंधित विधानों और विनियमनों में परिवर्तन के विषयाधीन होगी।

3. आत्महत्या: आत्महत्या के मामले में कोई अपवर्जन नहीं होगा तथा पूरी क्रय कीमत देय होगी।

4. दावा: इस पॉलिसी के अंतर्गत देय धन का भुगतान निगम के उसी कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहां इस पॉलिसी को सेवा दी जा रही है, किन्तु निगम, किसी भी समय कोई वैकल्पिक स्थान निर्धारित करने का परम अधिकार रखता है।

5. दावे के लिए सामान्य अपेक्षाएं: इस प्लान के अंतर्गत सभी दावों का भुगतान एनईएफटी/आधार समक्ष भुगतान प्रणाली के जरिए किया जाएगा।

पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु पर देय हितलाभ के लिए:

पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय देय सामान्य दस्तावेजों में निगम द्वारा विनिर्धारित दावा प्रपत्रों के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज़, स्वामित्व का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, निगम को संतोषप्रद रूप से पेश करना होगा। अगर पॉलिसी के अंतर्गत उच्च प्रमाणित नहीं की है, तो पेंशन प्राप्तकर्ता की उच्च का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

मृत्यु कए दिनांक से ९० दिन के अंदर, मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृत्यु की सूचना लिखित रूप में कार्पोरेशन के कार्यालय में दी जानी चाहिए जहां से पॉलिसी ली गई है। फिर भी, दावाकर्ता द्वारा दावे की सूचना में विलंब, यदि हो, को गुण के आधार पर कार्पोरेशन द्वारा माफ कर दिया जाएगा, जहां विलंब उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से होना साबित कर दिया जाता है।

पेंशन भुगतान के लिए:

पेंशन प्राप्तकर्ता को इस बारे में निगम द्वारा निर्धारित समय-अवधियों में, तय किए गए तथा समय-समय पर निर्धारित प्रोफार्म में अथवा ऑनलाइन विद्यमानता का प्रमाणपत्र जमा करना पड़ेगा। विद्यमानता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर ही पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

अभ्यर्पण पर देय हितलाभ के लिए:

पेंशन प्राप्तकर्ता को मूल पॉलिसी दस्तावेज़, अपने/जीवनसाथी के चिकित्सा उपचार और उम्र के प्रमाण, अगर उसे पहले स्वीकार नहीं किया गया है, के साथ उन्मोचन प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।

परिपक्वता पर देय हितलाभ के लिए:

पेंशन प्राप्तकर्ता को मूल पॉलिसी दस्तावेज़, और उम्र के प्रमाण, अगर उसे पहले स्वीकार नहीं किया गया है, के साथ उन्मोचन प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के अलावा, कोई भी आवश्यकता, जो किसी वैधानिक प्रावधान के तहत अनुदेशित या कानून के अनुसार आवश्यक होगी, उसे जमा करना आवश्यक होगी, उसे जमा करना आवश्यक होगा।

6. टैक्स: इस प्लान पर भारत सरकार या भारत के किसी अन्य सांविधिक टैक्स प्राधिकरण द्वारा अगर कोई सांविधिक टैक्स यदि कोई हो, समय-समय पर लागू टैक्स कानून और दर से देय होंगे।

अदा किए गए टैक्स की राशि को प्लान के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

PART - F: OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. Assignments and Nominations: Assignment as per Section 38 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time shall be allowed. Whenever the pensioner opts for policy loan, assignment in favour of LIC of India shall be in accordance with Condition 3(i), Part D as mentioned above. The current provisions of Section 38 are contained in Annexure-1 of this Policy Document.

Nomination by the Pensioner is required as per Section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are contained in Annexure-II of this policy document. The notice of nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering a nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.

2. Legislative Changes: The Terms and Conditions and benefits payable under this policy are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.

3. Suicide: There shall be no exclusion on count of suicide and full Purchase Price shall be payable.

4. Claim: The amounts due under this policy are payable at the office of the Corporation where this policy is serviced; but the Corporation has absolute discretion to fix, at any time, any alternative place of payment.

5. Normal requirements for a claim:

All the claim payments under this plan shall be paid through NEFT/ Aadhaar Enabled Payment System.

For benefit payable on death of the Pensioner:

The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Pensioner shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, proof of title, proof of death, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Pensioner shall also be submitted.

Within 90 days from the date of death, intimation of death along with death certificate must be notified in writing to the office of the Corporation where the policy is serviced. However, delay in intimation of the claim by the claimant, if any, may be condoned by the Corporation, on merit, where delay is proved to be for reasons beyond his/her control.

For pension payments:

The Pensioner shall submit the Life Certificate in the proforma of the Corporation or online "Jeevan Pramaan" as enabled by Corporation in this regard at the time intervals as prescribed from time to time. The pension payments shall be released only on receipt of the Life Certificate.

For benefit payable on Surrender:

The Pensioner shall submit the discharge form along with the original policy document, proof of medical treatment of self/spouse and proof of age, if the age is not admitted earlier.

For benefit payable on Maturity:

The Pensioner shall submit the discharge form along with the original policy document and proof of age, if the age is not admitted earlier.

In addition to above, any requirement mandated under any statutory provision or as may be required as per law shall also be required to be submitted.

6. **Tax:** Statutory Taxes, if any, imposed on this Plan by the Government of India or any other constitutional tax Authority of India shall be as per the Tax laws and the rate of tax as applicable from time to time.

The amount of tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the plan.

भाग-ल: सांविधिक प्रावधान

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45:

समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938 के धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी के परिशिष्ट-III में संलग्न है।

शिकायत निवारण प्रणाली:

निगम की:

निगम के पास ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी होते हैं। ग्राहकों की शिकायत का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइट) <http://www.licindia.in> के जरिए इंटीग्रेटेड कम्प्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है, जहां पर पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे अपनी शिकायत / असंतोष को दर्ज करा सकता है तथा उसकी स्थिति पर निगाह रख सकता है। ग्राहक अपनी किसी भी शिकायत का निवारण के लिए ईमेल आईडी co_crmgrv@licindia.com पर भी सम्पर्क कर सकता है।

जो दावेदार मृत्यु के दावे को अस्वीकृत किए जाने के निर्णय से असंतुष्ट हो, वे अपने मामले को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विवाद समाधान समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद समाधान समिति के पास भेज सकते हैं। प्रत्येक दावा विवाद समाधान समिति में उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज सदस्य के रूप में हैं।

आईआरडीएआई की :

यदि ग्राहक प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या उसे 15 दिनों के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो वह निम्नलिखित में से किसी माध्यम के जरिए आईआरडीएआई के शिकायत प्रकोष्ठ से सम्पर्क कर सकता है:

- टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई के शिकायत कौल सेंटर) पर कौल करके
- complaints@irda.gov.in पर ईमेल प्रेषित करें
- <http://www.igms.irda.gov.in> पर ऑनलाइन शिकायत का पंजीकरण कराते हुए।
- कूरियर/पत्र के जरिए शिकायत भेजने का पता उपभोक्ता मामला विभाग, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, सर्वे नं.115/1 फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानाक्रमगुडा ,गाचिबोवलि, हैदराबाद -500032
- फैक्स नं. 040-66789768 पर शिकायत भेजकर

आम्बडस्मैन (लोकपाल) की :

दावों से संबंधित असंतोषों के निवारण के लिए दावाकर्ता इंश्योरेंस आम्बडस्मैन से भी सम्पर्क कर सकते हैं जो ग्राहकों को कम खर्च पर और तेज शिकायत निवारण प्रक्रिया प्रदान करता है।

PART – G: STATUTORY PROVISIONS

Section 45 of Insurance Act, 1938:

The provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938 shall be applicable as amended from time to time. The current provisions are contained in Annexure-III of this policy document.

Grievance Redressal Mechanism:

Of the Corporation:

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. For ensuring quick redressal of customer grievances the Corporation has introduced Customer friendly Integrated Complaint Management System through our Customer Portal (website) which is <http://www.licindia.in>, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail co_crmgrv@licindia.com for redressal of any grievances.

Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee. A retired High Court/ District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committees.

Of IRDAI:

In case the customer is not satisfied with the response or do not receive a response from us within 15 days, then the customer may approach the Grievance Cell of the IRDAI through any of the following modes:

- Calling Toll Free Number 155255 / 18004254732 (i.e. IRDAI Grievance Call Centre)
- Sending an email to complaints@irda.gov.in
- Register the complaint online at <http://www.igms.irda.gov.in>
- Address for sending the complaint through courier / letter:
Consumer Affairs Department, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Survey no. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500 032, Telangna.
- Sending the complaint by Fax to 040-66789768

Of Ombudsman:

For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsman who provides for low cost and speedy arbitration to customers.

टिप्पणी : यदि आपको कोई शिकायत/पेशानी हो तो आप शिकायत निराकरण अधिकारी/लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं जिनका पता नीचे दिया जा रहा है :

NOTE:

In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता और ई-मेल आईडी
Address and e-mail id of Branch Office

**LIC OF INDIA, BHUBANESWAR BR I
OPP RAJ BHAWAN NEW CAPITAL
LIC BUILDING UNIT-7.
BHUBANESWAR- 751001, Email: bo_583@licindia.com**

Call Centre NO. 022-68276827 (24 x7 Service)

शिकायत निराकरण अधिकारी का पता
Address of Grievance Redressal officer:

**Manager (CRM),
D.O. BHUBANESHWAR
BHUBANESHWAR**

बीमा लोकपाल का पता तथा संपर्क :
Address and contact details of Insurance Ombudsman:

**Office of the Insurance Ombudsman,
62, Forest Park,
.BHUBANESHWAR-751 009.
Tel.:0674-2596455/2596003, Fax:0674-2596429
bimalokpal.bhubaneswar@gbic.co.in**

टिप्पणी : इन नियमों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी पाठ विधिमान्य होगा ।

Note: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जांच कर लें और यदि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार के लिए तुरंत हमें लौटाएं ।

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

परिशिष्ट-I

समनुदेशन-बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा के अनुसार

- (1) बीमा पॉलिसी का अंतरण या समनुदेशन, पूर्णतः या अंशतः प्रतिफल सहित या इसके बिना, केवल पॉलिसी पर ही पृष्ठांकन या अलग से इंस्ट्रुमेंट द्वारा किसी भी मामले में अंतरणकर्ता या समनुदेशक या उनके अधिकृत एजेंट द्वारा किया जा सकता है जिसे कम से कम एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अंतरण या अभ्यर्पण के तथ्य और कारण, समनुदेशन की शर्तों का उल्लेख करते हुए।
- (2) बीमाकर्ता उप-धारा (1) के अंतर्गत किए गए किसी अंतरण या समनुदेशन को स्वीकार कर सकता है या किसी पृष्ठांकन को स्वीकार करने से मना कर सकता है, अगर उसके पास यह मानने का पर्याप्त कारण हो कि यह अंतरण या समनुदेशन वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में या जनहित या बीमा पॉलिसी की ट्रेडिंग के प्रयोजन हेतु उपयुक्त नहीं है।
- (3) बीमाकर्ता, पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से पहले अपनी अस्वीकृति के कारण को लिखित में दर्ज करेगा तथा पॉलिसीधारक द्वारा ऐसे अंतरण या समनुदेशन का नोटिस देने की तिथि से 30 दिनों के अंदर ऐसी अस्वीकृति से पॉलिसीधारक को सूचित करेगा।
- (4) बीमाधारक द्वारा ऐसे अंतरण या पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से प्रभावित कोई व्यक्ति बीमाकर्ता से कारण सहित इन्कार की सूचना मिलने की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्राधिकारी के पास अपना दावा रख सकता है।
- (5) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, अंतरण या समनुदेशन पूर्ण होगा तथा ऐसे पृष्ठांकन या विधिवत सत्यापित इन्स्ट्रुमेंट पर अमल प्रभावी होगा, सिवाय जहां अंतरण या समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में है, बीमाकर्ता के विरुद्ध प्रभावी न होगा, तथा यह अंतरिती या समनुदेशित या उनके कानूनी प्रतिनिधि को ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत राशि के लिए कानूनी दावा करने या उनके द्वारा धनराशि के सुरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। अंतरण या समनुदेशन का लिखित में नोटिस या उक्त पृष्ठांकन या इन्स्ट्रुमेंट की प्रति, जिसे जब तक की अंतरणकर्ता तथा अंतरिती दोनों या उनके विधिवत अधिकृत एजेंट्स द्वारा सत्य होने के लिए सत्यापित किया गया हो, बीमाकर्ता को सौंपा नहीं जाता है।
- वर्शत जहां बीमाकर्ता के भारत में एक या अधिक कारोबार के स्थान हो, जहां नोटिस को केवल वहीं पर दिया जाना है, जहां से पॉलिसी को सेवा प्रदान की जा रही है।
- (6) जिस तिथि को उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस बीमाकर्ता को सुपुर्द किया जाता है, उससे वह पॉलिसी में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों के बीच अंतरण या समनुदेशन के अंतर्गत सभी दावों के लिए प्राथमिकता को विनियमित करेगी, तथा जहां अंतरण या समनुदेशन के एक से अधिक इन्स्ट्रुमेंट हों जहां ऐसे इन्स्ट्रुमेंट्स के अंतर्गत दावों की प्राथमिकता उस क्रम द्वारा शासित होगी, जिसमें उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस सुपुर्द की गई है:
- समनुदेशितों के बीच भुगतान की प्राथमिकता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर उसे प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।
- (7) उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस के प्राप्त होने पर, ऐसे अंतरण या समनुदेशन के तथ्य को उसकी तिथि तथा अंतरिती या समनुदेशित के नाम के साथ दर्ज करेगा तथा नोटिस देने वाले व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर, या अगर अंतरिती या समनुदेशित, विनियमों द्वारा निर्धारित की गई फीस के भुगतान पर, ऐसे नोटिस के प्राप्त होने की लिखित पावती देता है; और ऐसी किसी पावती को बीमाकर्ता के विरुद्ध इस बात का निष्कर्ष साक्ष्य माना जाएगा की उसे पावती से संबंधित नोटिस विधिवत प्राप्त हुआ है।
- (8) अंतरण या समनुदेशन के नियमों तथा शर्तों के अधीन, बीमाकर्ता द्वारा उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से, पॉलिसी के अंतर्गत लाभ के पात्र अंतरिती या समनुदेशित की पहचान करेगा या ऐसा व्यक्ति उन सभी देयताओं तथा इक्विटियों के अधीन होगा, जिसका की अंतरण या समनुदेशन की तिथि को अंतरणकर्ता या समनुदेशक पात्र था तथा वह पॉलिसी के संबंध में कोई कारवाई कर सकता है, वह पॉलिसी के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता है या अंतरणकर्ता या समनुदेशक की सहमति प्राप्त किए बिना पॉलिसी को अभ्यर्पण कर सकता है या उसे ऐसी कारवाई की एक पार्टी बना सकता है।
- स्पष्टीकरण - सिवाय इसके की जहां उप-धारा (1) में संदर्भित पृष्ठांकन स्पष्ट रूप से उल्लेख करता हो कि समनुदेशन या अंतरण, यहां दी गई उप-धारा (10) के अंतर्गत सशर्त है, प्रत्येक समनुदेशन या अंतरण को पूर्ण समनुदेशन या अंतरण माना जाएगा तथा समनुदेशित या अंतरिती को, जैसी भी स्थिति हो, क्रमशः पूर्ण समनुदेशित या अंतरिती माना जाएगा।
- (9) बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के आरंभ होने से पहले किए गए किसी समनुदेशन या अंतरण से जीवन बीमा की पॉलिसी के किसी समनुदेशित या अंतरिती के अधिकार व उपचार इस धारा के प्रावधानों द्वारा प्रभावित नहीं होंगे।
- (10) किसी कानून के होने के बावजूद या ग्राहक की कानून के प्रतिफल बाध्यता होने पर, व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन इस दशा में किया जा सकता है की अ.पॉलिसी के अंतर्गत धनराशि पॉलिसीधारक या नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों को उस दशा में देय हो सकती है अगर समनुदेशित या अंतरिती की मृत्यु बीमाधारक से पहले हो जाती है; या
- ब. बीमाधारक पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है, मान्य होगा: तथापि सशर्त समनुदेशित पॉलिसी को अभ्यर्पण करने या पॉलिसी पर ऋण लेने का पात्र नहीं होगा।
- (11) उप-धारा (1) के अंतर्गत बीमा पॉलिसी के आंशिक समनुदेशन या अंतरण की दशा में, बीमाकर्ता की देयता आंशिक समनुदेशन या अंतरण द्वारा सुरक्षित की गई राशि तक सीमित होगी तथा ऐसा पॉलिसीधारक उसी पॉलिसी के अंतर्गत देय शेष राशि के लिए पुनः समनुदेशन या अंतरण करने का पात्र नहीं होगा।

Annexure - I

Assignment - As per Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

(1) A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itself or by a separate instrument, signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness, specifically setting forth the fact of transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignment is made.

(2) An insurer may, accept the transfer or assignment, or decline to act upon any endorsement made under sub-section(1), where it has sufficient reason to believe that such transfer or assignment is not bonafide or is not in the interest of the policyholder or in public interest or is for the purpose of trading of insurance policy.

(3) The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the policyholder not later than thirty days from the date of the policy-holder giving notice of such transfer or assignment.

(4) Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline to act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days from the date of receipt of the communication from the insurer containing reasons for such refusal, prefer a claim to the Authority.

(5) Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer or assignment shall be complete and effectual upon the execution of such endorsement or instrument duly attested but except, where the transfer or assignment is in favour of the insurer, shall not be operative as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue for the amount of such policy or the moneys secured thereby until a notice in writing of the transfer or assignment and either the said endorsement or instrument itself or a copy thereof certified to be correct by both transferor and transferee or their duly authorised agents have been delivered to the insurer:

Provided that where the insurer maintains one or more places of business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being serviced.

(6) The date on which the notice referred to in sub-section (5) is delivered to the insurer shall regulate the priority of all claims under a transfer or assignment as between persons interested in the policy; and where there is more than one instrument of transfer or assignment the priority of the claims under such instruments shall be governed by the order in which the notices referred to in sub-section (5) are delivered:

Provided that if any dispute as to priority of payment arises as between assignees, the dispute shall be referred to the Authority.

(7) Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5), the insurer shall record the fact of such transfer or assignment together with the date thereof and the name of the transferee or the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was given, or of the transferee or assignee, on payment of such fee as may be specified by the regulations, grant a written acknowledgement of the receipt of such notice; and any such acknowledgement shall be conclusive evidence against the insurer that he has duly received the notice to which such acknowledgment relates.

(8) Subject to the terms and conditions of the transfer or assignment, the insurer shall, from the date of the receipt of the notice referred to in sub-section (5), recognize the transferee or assignee named in the notice as the absolute transferee or assignee entitled to benefit under the policy, and such person shall be subject to all liabilities and equities to which the transferor or assignor was subject at the date of the transfer or assignment and may institute any proceedings in relation to the policy, obtain a loan under the policy or surrender the policy without obtaining the consent of the transferor or assignor or making him a party to such proceedings.

Explanation – Except where the endorsement referred to in sub-section (1) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of subsection (10) hereunder, every assignment or transfer shall be deemed to be an absolute assignment or transfer and the assignee or transferee, as the case may be, shall be deemed to be the absolute assignee or transferee respectively.

(9) Any rights and remedies of an assignee or transferee of a policy of life insurance under an assignment or transfer effected prior to the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 shall not be affected by the provisions of this section.

(10) Notwithstanding any law or custom having the force of law to the contrary, an assignment in favour of a person made upon the condition that-

- a. The proceeds under the policy shall become payable to the policyholder or the nominee or nominees in the event of either the assignee or transferee predeceasing the insured; or
- b. The insured surviving the term of the policy, shall be valid:

Provided that a conditional assignee shall not be entitled to obtain a loan on the policy or surrender a policy.

(11) In the case of the partial assignment or transfer of a policy of insurance under sub-section (1), the liability of the insurer shall be limited to the amount secured by partial assignment or transfer and such policyholder shall not be entitled to further assign or transfer the residual amount payable under the same policy.

परिशिष्ट-II

नामांकन-बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार

1.जीवन बीमा की पॉलिसी का धारक अपने जीवन पर, पॉलिसी लेते समय या भुगतान हेतु पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित कर सकता है, जिसे/जिन्हें उसकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि का भुगतान किया जाएगा।

बशर्त की, अगर नामित व्यक्ति नाबालिग हो, तो पॉलिसीधारक के लिए यह कानूनन उचित होगा की बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति को नियुक्त करे जो की नामित व्यक्ति के नाबालिग रहने के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि को प्राप्त कर सके।

2.ऐसे किसी नामांकन को प्रभावी होने के लिए, अगर वह पॉलिसी की शब्द योजना में निगमित नहीं है, तो उसे बीमित करने के लिए सूचित पॉलिसी पर पृष्ठांकन तथा पॉलिसी से संबंधित रिकॉर्ड्स में उसके द्वारा पंजीकरण के जरिए निगमित किया जाएगा, तथा ऐसे कोई नामांकन पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय भुगतान से पूर्व किसी पृष्ठांकन या वसीयत, जैसे भी स्थिति हो, द्वारा रद्द किए जा सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार निरस्तीकरण या परिवर्तन के लिए बीमाकर्ता को लिखित में सूचना न दी गई हो तो बीमाकर्ता पॉलिसी के अंतर्गत उसके द्वारा वास्तविक बनाए गए पॉलिसी की शब्द योजना में उल्लिखित या बीमाकर्ता के रिकॉर्ड्स में पंजीकृत नामांकित को किसी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3.बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को नामांकन के पंजीकृत कराए जाने या उसके निरस्तीकरण या बदले जाने के बारे में लिखित पावती देगा तथा विनियमों द्वारा विनिर्धारित ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क भी ले सकता है।

4.धारा 38 के अनुक्रम में पॉलिसी में किसी अंतरण या समनुदेशन से नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा:

बशर्त की, बीमाकर्ता को पॉलिसी का समनुदेशन, जो की समनुदेशन के समय पॉलिसी पर जोखिम का वहन करता हो, उस बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी की जमानत पर, उसके अभ्यर्पण मूल्य या पुनः समनुदेशन के अंतर्गत हो, ऋण स्वरूप की भरपाई करने पर नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामित के अधिकार केवल उस हद तक प्रभावित होंगे, जितना की पॉलिसी में बीमाकर्ता का हित हो:

आगे शर्त यह है की पॉलिसीधारक को अंतरिती या समनुदेशित द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए ऋण के प्रतिफल स्वरूप पॉलिसी का अंतरण या समनुदेशन, चाहे यह पूर्णतः हो या अंशतः, नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को उसी हद तक प्रभावित करेगा, जो की पॉलिसी में अंतरिती या समनुदेशित के हित में होगा:

शर्त यह भी है की नामांकन जो की अंतरण या समनुदेशन पर उसके परिणामस्वरूप अपने आप रद्द हुआ हो, वह नामांकन समनुदेशित द्वारा पुनः समनुदेशन या अंतरिती द्वारा ऋण के भुगतान पर सिवाय बीमाकर्ता को पॉलिसी की जमानत पर, पुनः अंतरण से स्वतः पुनः प्रचालित हो जाएगा।

5.जहां पॉलिसी की भुगतान हेतु परिपक्वता उस व्यक्ति के जीवनकाल में होती है जिसके जीवन को बीमित किया गया है या अगर नामित व्यक्ति या एक से अधिक नामितों में से सभी पॉलिसी के भुगतान हेतु परिपक्व होने से पहले मर जाते हैं, वहा पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित राशि का भुगतान पॉलिसीधारक यस उसके उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक को, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा।

6.जहां एक या अधिक नामित हों तथा एक या एक से अधिक नामित, उस व्यक्ति के बाद जीवित रहते हैं, जिसके जीवन को बीमित किया गया है, तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित की गई राशि का भुगतान ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को किया जाएगा।

7.इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, जहां बीमा पॉलिसी के धारक ने अपने जीवन पर अपने माता/पिता या अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों या उनमें से किसी को नामित किया हो, ऐसे नामित उप-धारा (6) के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा देय राशि के लिए लाभार्थी होंगे, जब तक की यह साबित नहीं होता की पॉलिसी का धारक, पॉलिसी में उसके टाइल की प्रकृति के अनुसार नामांकित को ऐसा लाभार्थी टाइल प्रदान नहीं कर सकता है।

8.उपरोक्त कहे गए के अधीन, जहां नामित या अगर एक से अधिक नामित हों जिन पर उप-धारा (7) लागू होती है, पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि के भुगतान से पहले, लेकिन उस व्यक्ति जिसके जीवन को बीमित किया गया है, के बाद मर जाता है तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि या मरनेवाले नामित या नामितों जैसी भी स्थिति हो के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान नामित या नामितों के उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या प्रमाणपत्र के धारक, जैसी भी स्थिति हो, को किया जाएगा तथा वे ऐसी राशि को पाने के लिए अधिकृत लाभार्थी होंगे।

9.उप-धाराओं (7) और (8) में कुछ भी जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की आमदनियों से किसी ऋणदाता के अधिकार को नष्ट या समाप्त नहीं करेगा।

10.उप-धाराओं (7) और (8) के प्रावधान बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के आरंभ होने के बाद भुगतान के लिए परिपक्व होने वाली जीवन बीमा की सभी पॉलिसियों पर लागू होंगे।

11.जहां पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद हुई हो, लेकिन पॉलिसी की आय और हितलाभ का भुगतान उसे उसकी मृत्यु के कारण न हुए हों, तो उसके द्वारा नामित उसकी पॉलिसी के अंतर्गत आमदनी और हितलाभ को पाने का पात्र होगा।

12.इस धारा के प्रावधान जीवन बीमा की ऐसी किसी पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे, जिस पर धारा 6, विवाहित स्त्री संपत्ती अधिनियम 1874 लागू होता हो या कमी लागू किया गया हो।

बशर्त की, जहां बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के आरंभ होने से पहले बीमित व्यक्ति के पत्नी या उसकी पत्नी तथा बच्चों या उनमें से किसी के पक्ष में अभिव्यक्त रूप से नामांकन किया गया हो, चाहे वह पॉलिसी पर अंकित हो या नहीं, जैसा की इस धारा के अंतर्गत किया गया है, कथित धारा 6 पॉलिसी पर लागू नहीं मानी जाएगी या लागू नहीं होगी।

Annexure – II

Nomination - As per section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended by Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

1. The holder of a policy of life insurance on his own life may, when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment, nominate the person or persons to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his death:

Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawful for the policy holder to appoint any person in the manner laid down by the insurer, to receive the money secured by policy in the event of his death during the minority of the nominee.

2. Any such nomination in order to be effectual shall, unless it is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and any such nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or a further endorsement or a will, as the case may be, but unless notice in writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment under the policy made bonafide by him to a nominee mentioned in the text of the policy or registered in records of the insurer.

3. The insurer shall furnish to the policy holder a written acknowledgement of having registered a nomination or a cancellation or change thereof, and may charge such fee as may be specified by regulations for registering such cancellation or change.

4. A transfer or assignment of a policy made in accordance with section 38 shall automatically cancel a nomination:

Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its reassignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy:

Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or in part, in consideration of a loan advanced by the transferee or assignee to the policyholder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case may be, in the policy:

Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or retransferred by the transferee in favour of the policyholder on repayment of loan other than on a security of policy to the insurer.

5. Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose life is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policyholder or his heirs or legal representatives or the holder of a succession certificate, as the case may be.

6. Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.

7. Subject to the other provisions of this section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unless it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such beneficial title on the nominee.

8. Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die after the person whose life is insured but before the amount secured by the policy is paid, the amount secured by the policy, or so much of the amount secured by the policy as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be), shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficially entitled to such amount.

9. Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance.

10. The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance maturing for payment after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.

11. Where a policyholder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefit of his policy has not been made to him because of his death, in such a case, his nominee shall be entitled to the proceed and benefit of his policy.

12. The provisions of this section shall not apply to any policy of life insurance to which section 6 of the Married Women's Property Act, 1874, applies or has at any time applied:

Provided that where a nomination made whether before or after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of the wife of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being made under this section, the said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.

परिशिष्ट-III

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार

1. जिवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी की तिथि से अर्थात् पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से या पॉलिसी पर राइडर की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है।

2. जिवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनः प्रचालन की तिथि से या पॉलिसी पर राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर किसी भी समय, जो भी बाद में हो, धोखाधड़ी के आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है।

बशर्त की, बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया है।

स्पष्टीकरण I: इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु, "धोखाधड़ी" का अर्थ है बीमाधारक या उसके एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जिवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रभावित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई कार्य:

अ. सुझाव, जो की तथ्य रूप में सही नहीं है तथा जिसके सच होने पर बीमाधारक को विश्वास नहीं है;

ब. बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को छिपाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी वास्तविकता पर उसे विश्वास था;

स. धोखाधड़ी के इरादे से उठाया गया कोई अन्य कदम; तथा

द. कोई अन्य ऐसा कदम या भूल-चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता हो।

स्पष्टीकरण II: बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक की मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमाधारक या उसके एजेंट का यह कर्तव्य है। बोलने से चुप रहना या अन्यथा उसकी खामोशी अपने आप में बोलने के बराबर हो।

3. उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जिवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमाधारक / लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके की उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था।

बशर्त की, धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण - कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेंट माना जाएगा।

4. जिवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिथि से या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है की बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य कागजात में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनः प्रचलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था।

बशर्त की, बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जिवन बीमा को पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह फैसला लिया गया है।

आगे शर्त यह है की महत्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा किए गए सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उप-धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक की उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा की अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमाधारक को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

5. इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी की सिर्फ इसलिए प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

Annexure-III

Section- 45 as per Insurance Act, 1938, as amended by Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

1. No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.

2. A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision is based.

Explanation I.-For the purposes of this sub-section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy:-

- a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;
- b) the active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact;
- c) any other act fitted to deceive; and
- d) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

Explanation II- Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.

3. Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the misstatement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such misstatement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer:

Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

Explanation - A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the agent of the insurer.

4. A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

Explanation. - For the purposes of this sub-section, the misstatement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.

5. Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

Multiple Nominee Details

Nominee Name	Age	Relationship	Percentage